न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 84/2020
CIS No. :– TS/84/2020
CNR No. :– BRWC22–000128–2020

दुर्गा साह बनाम् **सुगंधी देवी एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
02.02.2022	अभिलेख पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 द्वारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 अनुपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2021 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता समर्थित शपथपत्र एवं उसके विरूद्ध दाखिल आपत्ति दिनांक 17.12.2021 पर सुना गया। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2021 आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वादपत्र में संशोधन हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 05.02.2021 को रमेश साह, राजेश कुमार तिवारी व मनोज पटेल विवादित जमीन पर आये तथा उस पर कोला कायम करने का प्रयास करने लगे तब पता चला कि उमेश साह ने विवादित जमीन जिसका विवरण वादपत्र की मद नं०–2 में दर्ज है का निबंधित बैनामा कुछ लोगो को किया है। वादी ने दिनांक 21.02.2021 को बैनामा का नकल निकाला तब यह जानकारी हुई कि उमेश साह ने राजेश कुमार तिवारी, बिहारी यादव, मनोज पटेल एवं रमेश साह के पक्ष में बैनामा निष्पादित किया है। उक्त चारो बैनामे वाद लंबित रहने के दौरान निष्पादित किया गया है। ऐसे में वादपत्र में संशोधन करने की आवश्यकता है। अत: न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित संशोधन को संशोधित करने की अनुमति प्रदान की जाये। प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए मुख्यत: यह कथन किया गया है कि बैनामा निष्पादित करते समय उमेश साह को प्रस्तुत मुकदमा की जानकारी नहीं थी। वादी को बैनामा की	

न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 84/2020
CIS No. :– TS/84/2020
CNR No. :– BRWC22–000128–2020

दुर्गा साह बनाम् **सुगंधी देवी एवं अन्य**

लगातार **02.02.2022**	जानकारी बैनामा तिथि से ही है। वादी गलत तथ्यों पर मुकदमा दाखिल किया है। प्रस्तावित संशोधन की जानकारी वादी को पूर्व से थी। जिस तथ्य की जानकारी वादी को पूर्व से थी उसे प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता है। अत: प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है। सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिवचनों में संशोधन को कतिपय त्रुटियों, उपेक्षाओं, असावधानी अथवा यहां तक प्रक्रिया के नियमों के व्यतिक्रमों के आधार पर अस्वीकारा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त आदेश 6 नियम 17 में स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया गया है कि '' न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार से और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायासंगत हो, अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा और वे सभी ऐसे संशोधन किये जाएगें जो पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।'' अत: प्रस्तुत मामले के सम्यक निस्तारण हेतु वाद की बहुलता को कम करने की दृष्टि से तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2021 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 24.03.2021 रू० 800/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2021 तदनुसार निस्तारित की जाती है। वादी वादपत्र में वांछित संशोधन अविलम्ब विधि द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर करना सुनिश्चित करें। वादी को आदेशित किया जाता है कि वह हर्जा अगामी नियत तिथि तक प्रतिवादी पक्ष को अदा करना सुनिश्चित करें। हर्जा अदायगी पर ही	

न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 84/2020
CIS No. :– TS/84/2020
CNR No. :– BRWC22–000128–2020

दुर्गा साह बनाम् **सुगंधी देवी एवं अन्य**

लगातार **02.02.2022**	प्रार्थनापत्र दिनांक 24.03.2021 स्वीकृत माना जायेगा। अभिलेख अतिरिक्त लिखित कथन/प्रतिवादी संख्या–7 व 8 की उपस्थिति हेतु दिनांक–02.03.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष–4 नरकटियागंज।	